न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा, **RAS**)

राजस्व आवेदन संख्या **234/2020** अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Ac

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. भूरचंद पुत्र नखतमल 2. ओमप्रकाश पुपपत्र नखतमल जाति जैन, निवासी मौखाब कला तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. जितेन्द्रकुमार पुत्र जुगताराम 2. जेठाराम पुत्र जुगताराम 3. प्रेमाराम पुत्र जुगताराम 4. पूनमाराम पुत्र जुगताराम 5. शैलेन्द्रमाली पुत्र जुगताराम 6. कमलादेवी पत्नी जुगताराम 7. बगताराम पुत्र राजाराम 8. लक्ष्मण पुत्र राजाराम 9. दुर्गाराम पुत्र राजाराम 10. ढेलीदेवी पत्नी निम्बाराम 11. हड्डमानराम पुत्र सुआराम जाति माली निवासी शिव तहसील शिव, जिला बाड़मेर 12. धाईदेवी पत्नी हेमसिंह जाति रावणा राजपुत, निवासी अम्बावाड़ी तहसील शिव, जिला बाड़मेर 13. धापूकंवर पत्नी मगसिंह जाति रावणा राजपुत, निवासी लालसों की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर 14. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ इण्डिया शाखा शिव 15. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा शिव 16. तहसीलदार शिव 17. चेलाराम पुत्र राजाराम जाति माली, निवासी अम्बावाड़ी तहसील शिव, जिला बाड़मेर

उपस्थित :— 1. अधिवक्ता प्रार्थीगण :— श्री बालाराम गोदारा।
2. अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 से 12 :— श्री देवीलाल कुमावत।

—:: आदेश ::—

दिनांक : 21.12.2022

प्रार्थीगण के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि ग्राम अम्बावाड़ी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 625/451 रकबा 60.00 बीघा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आई हुई है, जिस पर प्रार्थीगण की रहवासी ढाणी, टांके आदि बने हुए है तथा उक्त भूमि प्रार्थीगण की खरीदशुदा भूमि है। प्रार्थीगण के सेढासेढ ही विप्रार्थी संख्या 1 से 13 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 621/451, 835/625, 917/451, 918/451, 451 रकबा क्रमशः 23.00, 15.00, 13.07, 13.07, 13.06 बीघा की आयी हुई है। उक्त समस्त खसरा नम्बर मूल खसरा नम्बर 451 के भाग है। बाद में पक्षकारान् के मध्य बटवारा होने [illegible] अलग खसरा नम्बर कायम हुए तथा अलग अलग तरमीम की हुई है। परन्तु लटठा न[illegible] में [illegible] व कर्मचारियों द्वारा मौके की जांच किये बिना ही अपनी मनमर्जी से कम रकबा की गल[illegible]मीम कर दी गई है। प्रार्थीगण द्वारा जब खसरा नम्बर 625/451 [illegible] की कार्यवाही करवाई त[illegible] हुआ कि खसरा नम्बर 625/451 व 835/625 की तरमी[illegible] लट्ठा ट्रेस के अनुसार नहीं [illegible] रकबे से कम है तथा खसरा नम्बर 621/451, 917/451, 918/451 व 451 की तरमीम

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Singh Jodha
Date: 2023.02.21 11:34:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शिव, जिला बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

लट्ठा ट्रेस से अधिक है। उक्त गलत तरमीम होने से विवादित आराजी के मौके पर कब्जा काश्त एवं राजस्व जमाबंदी में अंकित रकबा में भारी भिन्नता होने से प्रार्थीगण मौके पर कब्जा काश्त अनुसार एवं राजस्व जमाबंदी में अंकित रकबा अनुसार तरमीम दुरस्त करवाने के अधिकारी होने से उक्त आवेदन तरमीम दुरस्ती का पेश किया गया है। साथ ही खसरा नम्बर 622/451, 623/451, 624/451, 626/451 की तरमीम सही होने से उक्त खसरा नम्बर के खातेदारान् से किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहने के कारण उन्हे पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड के लट्ठा ट्रेस में की गई गलत तरमीम को निरस्त करवाते हुए वर्तमान में खातेदारान् के मौके पर माफिक कब्जाकाश्त एवं राजस्व जमाबंदी में अंकित रकबा अनुसार तरमीम दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई। तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। विप्रार्थी संख्या 1 से 12 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब पेश कर उक्त आवेदन प्रार्थीगण द्वारा गलत एवं मनगढंत तथ्यों के आधार पर पेश करने पर खारिज करने का निवेदन किया गया। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने की अनुशंषा की है। विप्रार्थी संख्या 13 से 15 व 17 के बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए पूर्व में की गई गलत तरमीम को निरस्त कर मौके पर कब्जा काश्त एवं राजस्व जमाबंदी में अंकित रकबा अनुसार व तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार आवेदन को स्वीकार किया जाकर तरमीम दुरस्ती का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया।

इसके विपरीत विप्रार्थी संख्या 1 से 12 के अधिवक्ता द्वारा उक्त आवेदन में प्रार्थीगण द्वारा जो तरमीम दुरस्ती चाही गई है व मनगढंत तथ्यों पर आधारित है। उसके किसी प्रकार की रद्दोबदल करने की आवश्यता नहीं है। साथ ही मूल खसरा नम्बर 451 से विभाजित समस्त खसरा नम्बर के खातेदारान् को पक्षकार संयोजित नही किया गया है। वर्तमान में पक्षकारान् अपने अपने हिस्से में ही काबिज काश्त है तथा किसी प्रकार की कोई तरमीम नहीं की हुई है। अतः प्रार्थीगण द्वारा उक्त आवेदन केवल मात्र विप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से झूठा एवं मनगढंत तथ्यों पर आधारित पेश किया हुआ होने से अस्वीकार किया जाकर मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा लट्ठा नक्शा में विवादित आराजी की विद्यमान तरमीम को निरस्त कर मौके पर पक्षकारान् के कब्जा काश्त एवं राजस्व जमाबंदी में अंकित रकबा अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 622/451, 623/451, 624/451, 626/451 की तरमीम लट्ठा नक्शा अनुसार रकबा सही है परन्तु खसरा नम्बर 625/451 व 835/625 की तरमीम लट्ठा नक्शा अनुसार कम है, जबकि खसरा नम्बर 621/451, 917/451, 918/451 व 451 की तरमीम लट्ठा नक्शा अनुसार अधिक है। साथ ही खसरा नम्बर 625/451 व 835/625 तथा खसरा नम्बर 621/451, 917/451, 918/451 व 451 में तरमीम संशोधन किया जाना उचित बताया गया है। विप्रार्थी संख्या 1 से 12 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मूल खसरा नम्बर 451 के अन्य खसरा नम्बरान के खातेदारान् को पक्षकार संयोजित किये जाने का निवेदन किया गया, जबकि तहसीलदार रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अन्य खसरा नम्बर उक्त तरमीम दुरस्ती से प्रभावित नहीं हो रहे है तथा प्रार्थीगण द्वारा अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Singh Jodha
Date: 2023.02.21 11:34:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

आवेदन में भी यह स्पष्ट किया गया है कि अन्य खसरा नम्बर के खातेदारान् से कोई अनुतोष नहीं चाहने के कारण उन्हे पक्षकार संयोजित नही किया गया है। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती को स्वीकार किया गया है तथा तहसीलदार मौका रिपोर्ट में भी खसरा नम्बर 625/451, 835/625, 621/451, 917/451, 918/451 व 451 में रकबा कम व अधिक होने पर तरमीम दुरस्ती बाबत् निवेदन किया गया है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी की तरमीम तद्नुसार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम अम्बावाड़ी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 625/451, 835/625, 621/451, 917/451, 918/451, 451 रकबा क्रमशः 60.00, 23.00, 15.00, 13.07, 13.07, 13.06 बीघा भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को तद्नुसार तरमीम दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। बैंक हित उक्त आदेश से अप्रभावित रहेंगे। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (जिला बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 21.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (जिला बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahaveer Singh Jodha
Date: 2023.02.21 11:34:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner